राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2017

राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार" वर्ष 2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र दुजाना

पीठासीन अधिकारी– श्री विनोदकुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

राजस्व विविध सं. 26/2016
दायरा तिथि 13.05.2016
आदेश तिथि 12.05.2017

प्रार्थी:–	**बनाम:**	**अप्रार्थीगण:–**
गुलाबराम पुत्र जोधाजी जाति मीणा निवासी दुजाना तहसील सुमेरपुर		राजस्थान सरकार जरिए 1–वन संरक्षक, वन विभाग पाली 2–तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर जिला पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(A) RTAct,1955

–: आ दे श :–

आदेश तिथि 12.05.2017

उपरोक्त प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है:–

(1) कि यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार" वर्ष 2017 के दौरान केम्प–अटल सेवा केन्द्र दुजाना में बरोज आज पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। प्रश्नगत् मामले में भू–अभिलेख निरीक्षक साण्डेराव व तहसीलदार सुमेरपुर ने प्रस्तावित रास्ता भूमि के बारे में राजस्व रेकर्ड एवं मौका स्थिति की जांच रिपोर्ट पेश की, जिसे रेकर्ड पर लिया गया। हमने, राजस्व लोक अदालत की भावना से पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड इत्यादि का अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप प्रश्नगत् मामले में वर्णित वाद–विषयक स्थिति अनुसार प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र कतिपय प्रावधान के तहत प्रस्तुत कर इस आशय का निवेदन किया है कि सरहद मौजा दुजाना, पटवार हल्का दुजाना, तहसील सुमेरपुर में स्थित कृषि भूमि हाल खसरा नं. 1379, 1599, 1620, 1627, 1664 कुल रकबा 5.69 हेक्टर प्रार्थी व अन्य दीगर खातेदारान की संयुक्त खातेदारी आयी हुई है, जिसमें कृषि कार्य व सुखाधिकार के तहत प्रार्थी व अन्य खातेदारों द्वारा अपनी खातेदारी भूमि के उत्तर दिशा में स्थित प्रस्तावित रास्ता सिवायचक भूमि खसरा नं. 1628 रकबा 56.70 हेक्टर किस्म गै.मु.मगरा में से होते हुए राजस्व रेकर्ड में दर्ज गै.मु.रास्ता खसरा नं. 1622 तक 10 फीट चौडाई में जिसका नजरी नक्शा में मार्क A से B बरंग लाल दर्शाया हुआ है, कदीमी से आना जाना व उपयोग/उपभोग किया जा रहा है, इस प्रस्तावित रास्ता के अलावा मौके पर अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, इसलिए कतिपय प्रावधान के तहत प्रार्थी को प्रस्तावित रास्ता उपलब्ध कराये जाने का आदेश प्रदान करावे।

लगातार–2

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner

(2) कि राजस्व लोक अदालत की मंशा के तहत सुलभ न्याय हेतु हमने, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य–दस्तावेज क्रमशः प्रस्तावित रास्ता का नजरी नक्शा, ग्राम दुजाना के खसरा नं. 1379, 1599, 1620, 1627, 1664 की जमाबंदी संवत् 2068–71, ग्राम दुजाना के खसरा नं. 1628 की जमाबंदी संवत् 2068–71, ग्राम दुजाना के खसरा नं. 1620 व 1628 का नक्शा–ट्रेस इत्यादि एवं भू–अभिलेख निरीक्षक साण्डेराव व तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के अवलोकन व परीक्षण फलस्वरूप प्रार्थी के कथित प्रार्थना पत्र में अभिव्यक्त कथनों व तथ्यों की बखुबी पुष्टि होती है। इसलिए हमारे विधिक विचारों में प्रार्थीगण को उनकी उपरोक्त वर्णित खातेदारी भूमि में कृषि कार्य व सुखाधिकार हेतु आने–जाने लिए कतिपय प्रावधान के तहत प्रस्तावित रास्ता भूमि को नियमानुसार उपलब्ध कराया जाना उचित समझते है।

अतः उल्लेखित विश्लेषण व विवेचित तथ्यों के परिणामतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण के कतिपय प्रावधान के तहत स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा दुजाना, पटवार हल्का दुजाना, तहसील सुमेरपुर में स्थित कृषि भूमि हाल खसरा नं. 1379, 1599, 1620, 1627, 1664 कुल रकबा 5.69 हेक्टर में कृषि कार्य व सुखाधिकार के तहत आने–जाने हेतु उक्त भूमि के उत्तर दिशा में स्थित प्रस्तावित रास्ता सिवायचक भूमि खसरा नं. 1628 किस्म गै.मु.मगरा में से होते हुए राजस्व रेकर्ड में दर्ज गै.मु.रास्ता खसरा नं. 1622 तक चौडाई 10 फीट व लम्बाई मौके की स्थित अनुसार जिसका नजरी नक्शा में मार्क A से B बरंग लाल दर्शाया हुआ है, को इस सशर्त पर सार्वजनिक रूप से गै.मु. रास्ता घोषित किया जाता है कि प्रार्थी उपरोक्त घोषित रास्ता भूमि के क्षेत्रफल अनुसार वर्तमान प्रचलित बाजारू दर (DLC) के आधारित तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा मूल्यांकन किया जाकर मूल्यांकन राशि की दो–गुणा राशि चैक/डी.डी./चालान द्वारा राजकोष में जमा करावे, तद्परान्त तहसीलदार सुमेरपुर व पटवारी हल्का दुजाना उक्त आदेश मुजब राजस्व रेकर्ड में बतौर सार्वजनिक रूप से गै.मु.रास्ता का अमल दरामद व तरमीम कर पालना सुनिश्चित करे। नजरी नक्शा इस आदेश का अभिन्न भाग माना जायेगा।

यह आदेश बरोज आज दिनांक 12.05.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प–दुजाना में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
सुमेरपुर(पाली)